154 20 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों के तदर्थ समूह की सिफारिशें – नवरत्न और मिनिरत्न कंपनियों द्वारा विलयन और अधिग्रहण

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 11.02.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3 (2)/ 2003 – डीपीई (वित्त)/जीएल XVI का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों में विलयन और अधिग्रहण के बारे में निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार शामिल नहीं हैं तथा सभी सीपीएसई को किसी अन्य व्यवसायिक निकायों अथवा बड़े व्यापारिक कार्यकलापों के विलयन और/अथवा उनके अधिग्रहण के संबंध में सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए। सरकार ने तत्पश्चात नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की थी और यह निश्चय किया था कि नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल को डीपीई के क्रमशः दिनांक 05.08.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (24)/2003–जीएम–जीएल–64 और 05.08.2005 के 18 (24)/2003–जीएम–जीएल–65 में विहित कुछ शर्तों के अध्यधीन विलयन और अधिग्रहण के अधिकार होंगे।

2. ऐसे सीपीएसई द्वारा आमेलन की योजना के अंतर्गत नए शेयर जारी करने के फलस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता का और अधिक तनुकरण (डायल्यूशन) हो सकता है और कुछ मामलों में इससे उनकी सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान भी परिवर्तित हो सकती है। इसलिए सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया है और यह निश्चय किया है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के जरिए नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित की गई विलयन और अधिग्रहण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाए कि संबंधित सीपीएसई की सार्वजनिक क्षेत्र में जो साख बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को नोट करें और इस संबंध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को उपयुक्त ढंग से सलाह दें।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 18 (16)/2005–जीएम–जीएल–83, दिनांक 28 मई 2007 )

*****